

**संख्या-34 /2025/ 1463 /007-9-7002-099-2-2021**

प्रेषक,

कल्याण बनर्जी,  
संयुक्त सचिव,  
उ.प्र. शासन।

सेवा में,

जिलाधिकारी,  
मऊ।

**नगर विकास अनुभाग-7****लखनऊ : दिनांक 30 मार्च, 2025**

**विषय:-** वित्तीय वर्ष 2024-25 में शहरी क्षेत्रों में अन्त्येष्टि स्थलों का विकास योजना के अनुदान संख्या-83 के अन्तर्गत द्वितीय/अंतिम किशत की धनराशि स्वीकृति के संबंध में।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक पूर्व में निर्गत शासनादेश संख्या- 468-1/नौ-7-21-33ज/2020टीसी, दिनांक 27.03.2021 के अनुक्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2024-25 में शहरी क्षेत्रों में अन्त्येष्टि स्थलों का विकास योजना के अनुदान संख्या-83 के अन्तर्गत नगर पंचायत चिरैयाकोट जनपद मऊ को संबंधित अन्त्येष्टि स्थल के विकास हेतु निम्नलिखित तालिका के अनुसार द्वितीय किशत की धनराशि कुल **₹12.08 लाख (रुपये बारह लाख आठ हजार मात्र)** अवमुक्त किये जाने पर मा0 राज्यपाल महोदया निम्नलिखित विवरण, शर्तों, प्रतिबंधों के अधीन सहर्ष स्वीकृति प्रदान करती है :-

(धनराशि ₹लाख में)

क्र.सं	जनपद का नाम	नागर निकाय का नाम	शासनादेश संख्या एवं दिनांक, जिनके द्वारा प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति के साथ ही प्रथम किशत की धनराशि अवमुक्त की गयी है	शासनादेश द्वारा निर्धारित प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति की धनराशि	शासनादेश द्वारा अवमुक्त प्रथम किशत की धनराशि	द्वितीय किशत की धनराशि
1	2	3	4	5	6	7
1	मऊ	नगर पंचायत चिरैयाकोट	468-1/नौ-7-21-33ज/2020टीसी, दिनांक 27.03.2021	25.71	12.855	12.08
<b>कुल</b>				<b>25.71</b>	<b>12.855</b>	<b>12.08</b>

**नियम व शर्तें / प्रतिबन्धों**

(1) शासनादेश संख्या-468-1/नौ-7-21-33ज/2020टीसी, दिनांक 27.03.2021 द्वारा निर्धारित शर्तों का अनुपालन संबंधित नागर निकायों द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा।

(2) धनराशि ₹25.00 लाख तक के कार्यों का third party inspection (गुणवत्ता निरीक्षण) नगर पंचायत/नगर पालिका के अधिशासी अधिकारी द्वारा संबंधित जिलाधिकारी के माध्यम से पी0डब्ल्यू0डी0/आर0ई0एस0 के अवर अभियन्ता स्तर से तथा धनराशि ₹25.00 लाख के अधिक के कार्यों का third party inspection (गुणवत्ता निरीक्षण) पी0डब्ल्यू0डी0/आर0ई0एस0 के सहायक अभियन्ता स्तर से कराया जायेगा तथा गुणवत्ता संतोषजनक होने पर ही अधिशासी अधिकारी द्वारा भुगतान किया जायेगा।

(3) व्यय की गयी धनराशि का उपयोगिता प्रमाण-पत्र गठित किये गये आगणन में उल्लिखित कार्यों के सापेक्ष कार्यवार विवरण शासन तथा महालेखाकार, उ0प्र0 प्रयागराज को दिनांक 31.03.2025 तक भेजा जाना अनिवार्य होगा।

2- इस संबंध में होने वाला व्यय रुपये 12,08,000 ( रुपये बारह लाख आठ हजार मात्र ) को चालू वित्तीय वर्ष 2024-25 के आय-व्ययक मे **अनुदान संख्या 083 लेखा शीर्षक 2235607891100** शहरी क्षेत्रों में अन्त्येष्टि स्थलों का विकास **मानक मद 35** पूँजीगत परिसम्पत्तियों के सृजन हेतु अनुदान के नामे डाला जायेगा।

3- यह आदेश वित्त (आय - व्ययक ) अनुभाग - 1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या - 1/2024/बी-1-294/दस-2024-231/2024, दिनांक- 04-मार्च, 2024 में प्रशासकीय विभाग को उक्तवत प्रतिनिधानित अधिकार के अंतर्गत निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय,  
Signed by  
Kalyan Banerjee  
Date: 30-03-2025 13:36:40  
(कल्याण बनर्जी)  
संयुक्त सचिव।

**संख्या- 34 /2025/1463(1) /007-9-7002-099-2-2021, तद् दिनांक।**

**प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-**

1. महालेखाकार, उ0प्र0, प्रयागराज।
2. कोषाधिकारी मऊ।
3. निदेशक, स्थानीय निकाय, उ0प्र0 लखनऊ।
4. निदेशक, स्थानीय निधि, लेखापरीक्षा, उ0प्र0, प्रयागराज।
5. अध्यक्ष/ अधिशासी अधिकारी संबंधित नगर निकाय।

6. वित्त (व्यय-नियंत्रण), अनुभाग-9, उ0प्र0 शासन।
7. गार्ड फाइल/कम्प्यूटर सेल/सुपर यूजर, नगर विकास विभाग, उ0प्र0 शासन।

Signature से,

Kalyan Banerjee

Date: 30-03-2025 13:37:10

(कल्याण बनर्जी)

संयुक्त सचिव।

## Allotment Grid Report

वित्तीय वर्ष:-2024-2025  
आवंटन दिनांक-30/03/2025

प्रेषण संख्या:- 34  
आवंटन आदेश संख्या:- 001-34-2025-1463-007-9-7002-099-2-2021  
अनुदान संख्या:- 83 समाज कल्याण विभाग(अनुसूचित जातियों के लिये विशेष घटक योजना)  
(वित्तीय वर्ष 2024-2025 का आवंटन)  
लेखाशीर्षक:- 2235 - सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण(आयोजनेत्तर-मतदेय)  
60 - अन्य सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण कार्यक्रम  
789 - अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना  
11 - शहरी क्षेत्रों में अन्त्येष्टि स्थलों का विकास

(धनराशि रु. में)

S.No.	अधिकारी/जनपद का नाम		35-पूँजीगत परिसम्पत्तियों के सृजन हेतु अनुदान	योग
1	मऊ-4183-जिलाधिकारी, --01--	वर्तमान प्रगामी	1208000 6966000	1208000 6966000
	योग	वर्तमान प्रगामी	1208000 6966000	1208000 6966000

महायोग- (वर्तमान आवंटन):- रूपया बारह लाख आठ हजार

महायोग- (प्रगामी आवंटन):- रूपया उनहत्तर लाख छियासठ हजार

  
(कल्याण बनर्जी)  
संयुक्त सचिव